परिशिष्ट सात "यथा उत्तराखण्ड में लागू"

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन) अनुभाग

अधिसूचना

संख्या एस० आर० 976/दस-550—(51)-26

लखनऊ, 31 मार्च, 1976 जो

अधिसूचना संख्या एस० आर० 1276/11-94/500 दिनांक 15-4-1994 तथा अधिसूचना संख्या एस० आर० 3814/11-95 दिनांक 15-9-95 द्वारा संशोधित हुई है जो क्रमशः 1-5-1994 तथा 1-11-1995 से लागू हुआ।

रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, 1908) की धारा 78 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग-2 (सातवें संस्करण) के परिशिष्ट 5 में दी गई रजिस्ट्रीकरण फीस की सारिणी का अतिक्रमण करके राज्यपाल दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण फीस की तालिका विहित करते हैं:—

रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी

इसमें दिये गये अपवादों और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत घाटों और कटौतियों के अधीन रहते हुये और इस शर्त के अधीन रहते हुये कि किसी भी दस्तावेज के सम्बन्ध में नीचे अनुच्छेद 1 और 3 के अधीन प्रभार्य अधिकतम फीस पांच हजार रुपया मात्र होगी निम्नलिखित फीस का भुगतान किया जायेगा (1-11-1995 से यथा संशोधित) रु० पांच हजार के स्थान पर रु० 10,000/- शासन की अधिसूचना सं० 684/XXVII(9)/स्टाम्प-01/2010 दि० 13-08-2010 से,

अनुच्छेद 1

निम्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण के लिये—

(1)	पुस्तिका 1 और 4 से सम्बन्धित समस्त निर्वासीयती दस्तावेज, जिसके अन्तर्गत ऐसा बिक्री प्रमाण-पत्र भी है जो मूल रूप में पेश किया गया हो और जिसके लिये अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो।	समुचित फीस रु०
(क)	जहाँ मूल्य या प्रतिफल अभिव्यक्त है [1-11-95 से जोड़ा गया]	ऐसे मूल्य या प्रतिफल का दो प्रतिशत
(ख)	जहाँ मूल्य या प्रतिफल केवल अंशतः अभिव्यक्त किया गया हो, वहाँ अतिरिक्त फीस ...	20.00
(ग)	जहाँ मूल्य या प्रतिफल अभिव्यक्त न किया गया हो ...	100.00

[1-11-95 से यथा संशोधित]

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं० 217(1)/2015/XXVII(9)/स्टाम्प-01/2010 दि० 14-09-2015 से रु० 10,000/- के स्थान पर रु० 25000/-

स्पष्टीकरण—

(1) किसी हस्तान्तरण की स्थिति में, मूल्य या प्रतिफल पर, इनमें से जो भी अधिक हो, फीस ली जायेगी।

(2) किसी पट्टे या पट्टे के अभ्यर्पण की स्थिति में, फीस लिये जाने के प्रयोजनार्थ, मूल्य निम्नलिखित होगा:—

(क) जब पट्टा एक वर्ष या इससे कम के लिये हो—पूर्ण अवधि का कुल किराया।

(ख) जब पट्टा एक वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से अनधिक किसी निश्चित अवधि के लिये हो—औसत वार्षिक किराया।

(ग) जब पट्टा 20 वर्ष से अधिक, किन्तु 90 वर्ष से अनधिक, किसी निश्चित अवधि के लिये हो या निश्चित अवधि के लिये न हो—औसत वार्षिक किराये का तीन गुना (अनिश्चित अवधि के लिये पट्टे की स्थिति में, औसत वार्षिक किराये की गणना इस धारणा पर की जायेगी कि पट्टा 20 वर्ष तक जारी रहेगा)।

(घ) जब पट्टा शाश्वत हो या किरायेदार को मौरूसी अधिकार प्रदान करता हो या 90 वर्ष से अधिक अवधि के लिये हो—प्रथम पचास वर्ष के लिये देय कुल किराये का पांचवां भाग। परन्तु जहाँ पट्टा किसी जुर्माने या किस्त के लिये या आरक्षित किराये के अतिरिक्त अग्रिम दी गई धनराशि के लिये दिया जाये तब उस राशि को भी मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा।

(ङ) जब पट्टा जुर्माना या किस्त के लिये या अग्रिम दी गई धनराशि के लिये दिया जाये और कोई किराया आरक्षित न हो तब ऐसे जुर्माने या किस्त या अग्रिम दी गई धनराशि की कुल राशि।

(3) बन्धक या बन्धपत्र की स्थिति में, ऐसे दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत राशि; किसी वार्षिकी बन्धपत्र की स्थिति में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 25 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित राशि और नियतकालिक भुगतान को प्रतिभूत करने वाले अन्य दस्तावेजों (पट्टा से भिन्न) की स्थिति में, उन पर रजिस्ट्रेशन फीस लेने के लिये प्रथम वर्ष के लिये देय राशि और किसी जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम दी गई धनराशि को मूल्य समझा जायेगा।

(4) जब दस्तावेज की विषय-वस्तु मूल्यांकन योग्य हो और पुस्तिका 1 के सम्बन्ध में हो, किन्तु पक्ष मूल्य को अभिव्यक्त करने से इन्कार करें तब रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जिला रजिस्ट्रार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में, तहसील, स्थानीय निकायों में या अपने कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों से सम्पत्ति का लगभग मूल्य अभिनिश्चित करेगा और इस प्रकार अभिनिश्चित मूल्य पर समुचित फीस प्रभारित करेगा।

[*शासनादेश संख्या 2763/दस-504 (14)/17 दिनांक 18-7-79 द्वारा 1-8-79 से जोड़ा गया]।

	रु०
(2) दत्तक ग्रहण करने के लिये लिखित अधिकार, जो वसीयत द्वारा प्रदान न की गई हो।	100.00 [1-11-95 से]
(3) वसीयत	100.00 [1-11-95 से यथासंशोधित]

टीका

यदि किसी बन्धपत्र संलग्नक द्वारा पहले की गई बन्धपत्र का निरस्तीकरण कर नया बन्धपत्र की गई हो तो उस पर फीस केवल बन्धपत्र की ही ली जायेगी। निरस्तीकरण के लिये अलग से फीस नहीं ली जायेगी (महानिरीक्षक का पत्र 2366/स्टाम्प-98 दिनांक 7-5-1929 (लिस्ट आफ सर्कुलर्स का क्रमांक 69)।

(4) (क) अटर्नी की विशेष शक्ति	10.00 1-11-95 से लागू
(ख) अटर्नी की सामान्य शक्ति	50.00 1-11-95 से लागू
(ग) दत्तक विलेख	50.00 1-11-95 से लागू
(5) सांपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूत देने के लिये या अग्रेतर प्रत्याभूत के रूप में तात्पर्यित दस्तावेज, जहाँ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के समाधानुसार यह साबित कर दिया जाय कि मुख्य या प्रथम बन्धक सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था।	उतनी फीस, जितनी मुख्य या प्रथम बन्धक विलेख के लिये हो किन्तु अधिक से अधिक 10 रुपया।
(6) किसी दस्तावेज के वास्तविक प्रति/या प्रतियां जब मूल दस्तावेज के साथ में उसी समय रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत की जाए, यदि मूल दस्तावेज का भी रजिस्ट्रीकरण किया जाना हो जैसा कि रजिस्ट्रेशन मैनुअल, भाग-2 के नियम 362 में उपबन्धित है।	ऐसी प्रत्येक प्रति के लिये पांच रुपये।
	टिप्पणी—अनुच्छेद 2 के अधीन कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जायेगी।
(7) किसी पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज में किसी गलत विवरण या लेखन भूल को ठीक करने वाला अनुपूरक दस्तावेज, जैसा रजिस्ट्रेशन मैनुअल, भाग-2 के नियम 351 में उपबन्धित है।	उतनी फीस जितनी मूल दस्तावेज के लिये हो, किन्तु अधिकतम 5 रुपया।
(8) बिक्री के लिये करार—	रु०
(क) यदि कोई बयाना या अग्रिम धनराशि न दी गयी हो	100.00
(ख) यदि बयाना या अग्रिम धनराशि दी गयी हो	दिया गया बयाना या अग्रिम राशि पर खण्ड (1) में विहित फीस, (1-11-95 से लागू)
(9) किसी पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकृत बन्धक विलेख में ब्याज की दर या भुगतान की रीति में परिष्कार करने वाला करार।	उतनी फीस जितनी मूल के सम्बन्ध में है किन्तु अधिकतम 25 रुपया।
(10) किसी स्थापन फर्म या भागीदारी का दृष्टिबन्धक बन्धपत्र	प्रतिभूत राशि पर खण्ड (1) में विहित मूल्यानुसार फीस किन्तु अधिकतम 25 रुपये।
(11) बन्धक पर रखी गयी सम्पत्ति का पुनः) हस्तांतरण या निर्मुक्ति विलेख या बन्धक धारणाधिकार को निर्वापित करने के लिये तात्पर्यित विलेख, जहाँ उसी सम्पत्ति के बन्धक विलेख पर मूल्यानुसार पूरी फीस का भुगतान कर दिया गया है।	बन्धक की धनराशि पर खण्ड (1) में विहित मूल्यानुसार फीस, किन्तु अधिकतम 50 रुपया।

(12) बन्धक विलेख के अधीन बन्धक धनराशि की किस्त या किस्तों की प्राप्ति अभिस्वीकार करने वाला दस्तावेज जिस पर मूल्यानुसार पूरी फीस का भुगतान कर दिया गया हो,	
(13) बिक्री के लिये आंशिक या पूर्ण प्रतिफल की प्राप्ति अभिस्वीकार करने वाला दस्तावेज, जहाँ विक्रय विलेख पर मूल्यानुसार पूरी फीस का भुगतान कर दिया गया हो,	
(14) किसी पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के लिये, जिस पर मूल्यानुसार पूरी फीस का भुगतान कर दिया गया हो, आंशिक या पूर्ण प्रतिफल की प्राप्ति अभिस्वीकार करने वाला दस्तावेज।	अभिस्वीकृत धनराशि पर खण्ड (1) में विहित मूल्यानुसार फीस किन्तु अधिकतम 50 रुपया।
(15) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (15) में परिभाषित विभाजन की लिखत।	ऐसे पृथक अंश या अंशों के, जिस पर स्टाम्प अधि-नियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 45 के अधीन स्टाम्प शुल्क देय हो, मूल्य पर, जैसा खण्ड (1) में विहित है।
(16) कोई अन्य दस्तावेज जिसे खण्ड (1) में विहित मूल्यानुसार मानक्रम के अधीन नहीं लाया जा सकता (अर्थात् जो मूल्यांकन योग्य न हो) और जिसके लिए अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो।	10.00

टिप्पणी—(1) किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस जिसमें कई सुभिन्न मामले समाविष्ट हों, ऐसे फीस का योग होगी जो प्रत्येक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उनसे सम्बन्धित पृथक-पृथक दस्तावेज पर प्रभार्य होगी।

(2) टिप्पणी—(1) के अधीन रहते हुए, इस प्रकार विरचित दस्तावेज, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में दिये गये दो या अधिक वर्णनों में आता है, के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस, जब उसके लिये प्रभार्य फीस भिन्न-भिन्न है, ऐसी फीस में से अधिकतम फीस होगी।

(3) दस्तावेजों पर रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित करने के लिये रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को स्टाम्प विधि का अनुसरण करना चाहिये। यदि इस सारणी में या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में कोई सुस्पष्ट उपबन्ध न हो।

(4) यदि कोई पट्टा और कबूलियत या उसका प्रतिलेख एक ही बार रजिस्ट्रीकरण के लिये लाया जाये तो दो दस्तावेजों के सम्बन्ध में प्रभार्य फीस उस फीस से अधिक नहीं होगी जो केवल पट्टे पर प्रभारित होता।

(5) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, फीस, यदि 5 रुपया का गुणांक नहीं है, इसे 5 रुपये के अगले गुणांक में पूर्णांकित कर दिया जायेगा [1-11-95 से लागू]

[illegible]

(क) [illegible]	प्रति 500 शब्द या उसके भाग के लिये 5.00 रु० किन्तु प्रत्येक दस्तावेज के लिये न्यूनतम 10.00 रुपया।
(ख) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 18-क के अधीन मूल के साथ किये गये किसी दस्तावेज की प्रति के मिलान के लिये या उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन मैनुअल, भाग-2 के नियम 362 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की, जो मूल सहित पेश किये गये हों, द्वितीय प्रतियों के मिलान के लिए।	प्रति 500 शब्द या उसके भाग के, लिये 5.00 पैस. किन्तु प्रत्येक प्रति के लिये न्यूनतम 10.00 रु०।

स्पष्टीकरण

(1) ऐसे शब्दों की संख्या को जिसमें विधि या नियम द्वारा विहित पृष्ठांकन और प्रमाण-पत्र समाविष्ट हों, इस अनुच्छेद के अधीन फीस की गणना करने के लिये सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) फीस लेने के प्रयोजनार्थ इस बात का अनुमान लगाना कि लगभग कितने शब्द होंगे, पर्याप्त होगा। उदाहरणार्थ, पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्ति के शब्दों की औसत संख्या से गुणा किया जायेगा जिसे दस्तावेज के मध्य में तीन या चार साधारण, क्रमानुगत पंक्तियों में शब्दों की संख्या गिनकर किया जायेगा। प्रभारित शब्दों की संख्या और प्रभारित प्रति/मिलान फीस की राशि दस्तावेज में तथा रजिस्टर या प्रति में दर्ज की जायेगी।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 65 और 66 के अधीन दूसरे कार्यालय को भेजने के लिये दस्तावेजों की बनायी गयी समस्त प्रतियों पर भी पूर्ववर्ती मानक्रम के अनुसार फीस ली जायेगी; इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 64, 65, 66 और 67 के अधीन तैयार किये गये प्रत्येक ज्ञापन के सम्बन्ध में दो रुपये की निर्धारित फीस ली जायेगी।

अनुच्छेद 3

(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 की उपधारा (1) और (3) के अधीन प्राप्त आदेश की प्रति दाखिल करने के लिये उस व्यक्ति द्वारा, जिसको ऋण दिया जाये, कोषागार में शीर्षक ''030—स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण—रजिस्ट्रीकरण फीस-दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस'' के चार रुपये की फीस जमा की जायेगी और ऋण देने वाले अधिकारी के समक्ष कोषागार चालान दाखिल अन्तर्गत किया जायेगा, जो उसे आदेश के प्रति सहित रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 89 की उपधारा (2) या (4) के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र की प्रति दाखिल करने के लिये स्टाम्प अधिनियम के अधीन विक्रय के मूल प्रमाणपत्र पर जिस पर देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि के दो प्रतिशत के बराबर फीस किन्तु न्यूनतम 5 रुपए............ कोषागार में शीर्षक ''030-स्टाम्प तथा निबंधन शुल्क निबंधन शुल्क लेखों की नकलों की फीस'' के अन्तर्गत नीलामी क्रेता द्वारा जमा किया जायेगा और

न्यायालय या राजस्व अधिकारी के समक्ष [illegible] किया जायेगा जिसे न्यायालय या राजस्व अधिकारी द्वारा [illegible] सहित रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को अग्रसारित किया जायगा।"

परन्तु फीस यदि यह 5 रुपये का गुणक नहीं है, इसे 5 रुपये के अगले गुणांक में पूर्णांकित कर दिया जायेगा। [1-11-95 द्वारा संशोधित] अधिसूचना सं. 684/[illegible] (3)[illegible] 01/2010 दि-13-08-2010 10-00

अनुच्छेद 4

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 33 के अधीन मुख्तारनामा के अधि-प्रमाणीकरण के लिए—

(1) यदि ऐसी शक्ति सामान्य हो	10.00
(2) यदि ऐसी शक्ति विशेष हो	5.00

स्पष्टीकरण

(1) मुख्तारनामा के अधि-प्रमाणीकरण के लिये एकल फीस उद्गृहीत की जायेगी चाहे उस पर हस्ताक्षर करने वाले कितने ही हों, परन्तु वे सभी एक साथ निष्पादन के लिये उपस्थित हों। जब वे इस प्रकार उपस्थित न हों तो एक बार और एक ही समय में उपस्थित होने के लिये प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिये पृथक फीस उद्गृहीत की जायेगी।

(2) अधि-प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तुत किये गये मुख्तारनामा की द्वितीय या तृतीय प्रति को पृथक मुख्तारनामा समझा जायेगा और उसके लिये पृथक अधि-प्रमाणीकरण फीस ली जायेगी।

अनुच्छेद 5

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30 के अधीन जिला रजिस्ट्रार द्वारा स्वविवेक से रजिस्ट्रीकरण के लिये अतिरिक्त फीस।	100.00

स्पष्टीकरण

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 42 के अधीन दस्तावेजों की जमा पर अतिरिक्त फीस देय न होगी, और न तब प्रभार्य होगी, जब दस्तावेज उप-रजिस्ट्रार के उस भाषा से जिसमें वह लिखा गया हो, अपरिचित होने के परिणामस्वरूप, जिला रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण के लिये ले जाया जाए, न तो तब प्रभार्य होगी, जब कोई विलेख उप-रजिस्ट्रार के ऐसे संव्यवहार में जिससे ऐसा विलेख सम्बन्धित हो, हितबद्ध पक्ष होने के परिणामस्वरूप जिला रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाये। जब अतिरिक्त फीस वसूल न की जाये, तब फीस रजिस्टर के स्तम्भ 7 में और दस्तावेज पर, वसूल न किये जाने के कारण दिखाते हुये, टिप्पणी लिखी जानी चाहिये।

अनुच्छेद 6

निरापद अभिरक्षा—	रुपये
(क) जिला रजिस्ट्रार की लोहे की तिजोरी में किसी निर्वसीयती दस्तावेज को निरापद अभिरक्षा के लिये।	5.00
(ख) किसी ऐसे दस्तावेज के प्रत्याहरण के लिये।	5.00
(ग) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 42 के अधीन मुहरबन्द लिफाफे को निक्षिप्त करने के लिये।	10.00

(घ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 44 के अधीन मुहरबन्द लिफाफे के प्रत्याहरण के लिये। 10.00

(ङ) निक्षिप्त किये गये मुहरबन्द लिफाफे को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 45 के अधीन खोले जाने के लिये। 10.00

टीका—धारा 45 के अधीन खोली गई वसीयत को बही 3 में नकल करने के लिये केवल नकल करने की फीस ली जायेगी। परन्तु यदि आवेदक द्वारा उसके रजिस्ट्रीकरण का आवेदन भी किया हो तो रजिस्ट्रीकरण फीस भी ली जायेगी। (महानिरीक्षक का पत्र 3706/ग्यारह-118 दिनांक 16-5-31)।

अनुच्छेद 7

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 19 के अधीन दस्तावेज का हिन्दी अनुवाद दाखिल करने के लिए। 10.00

अनुच्छेद 8

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 57 के उपबन्धों के अधीन अभिलेखों की तलाशी या निरीक्षण के लिये—

(क) एक वर्ष के अभिलेखों की तलाशी करने या उनका निरीक्षण करने के लिए। 5.00

(ख) एक ही आवेदन-पत्र के अधीन एक से अधिक वर्षों के अभिलेखों की तलाशी करने या उनका निरीक्षण करने के लिए। प्रत्येक वर्ष के लिये 5.00 रुपये किन्तु किसी एक मामले में अधिकतम 100.00 रुपये

स्पष्टीकरण—

(1) किसी सद्भाविक सार्वजनिक प्रयोजन के लिये किसी सरकारी कार्यालय या न्यायालय के अध्यक्ष के आवेदन-पत्र पर की गई तलाशी या किये गये निरीक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन मैनुअल फार उत्तर प्रदेश, भाग-2 का नियम 348 देखिये।

(2) किसी ऐसे दस्तावेज के, जिसकी प्रतिलिपि के लिए आवेदन किया गया है, सम्बन्ध में कोई तलाशी फीस नहीं ली जायेगी यदि दावा करने वाले और निष्पादित करने वाले पक्षों के नाम, दस्तावेज का प्रकार और दिनांक और रजिस्ट्रीकरण का दिनांक प्रतिलिपि के लिए दिये गये आवेदन-पत्र में ठीक-ठीक दिया गया हो। किन्तु आवेदक द्वारा ऐसे विवरण का भाग न दिये जाने से सभी मामलों में तलाशी लेना आवश्यक न होगा और जब तक कि ऐसी तलाशी आवश्यक न हो, केवल प्रतिलिपि बनाने की फीस ली जायेगी। ऐसे मामलों में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी किसी ऐसी प्रविष्टि की तलाश करने और अपनी पुस्तक में किसी ऐसी प्रविष्टि को जिसकी जानकारी प्रतिलिपि के आवेदन से आसानी से अभिनिश्चित हो, पृष्ठ पलटने में विभेद करने में अपने विवेक का प्रयोग करेगा।

अनुच्छेद 9

रजिस्ट्रेशन मैनुअल, भाग-2 के नियम 327 के अधीन 12 वर्षीय तलाशी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए—

(क) जब किसी डिक्रीदार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 66 (2) (ग) की अपेक्षानुसार विवरण सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो:— रु०

(i) यदि डिक्री का मूल्यांकन 3,000 रुपये से अधिक न हो। 15.00

(ii) यदि मूल्यांकन 3,000 रुपये से अधिक हो।	प्रथम 3,000 रु० के लिये 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रु० या उसके भाग के लिये 5 रु० किन्तु अधिकतम 50.00 रुपये।

स्पष्टीकरण—

(क) एक डिक्री के सम्बन्ध में एक तलाशी प्रमाण-पत्र के लिये केवल एक ही फीस ली जायेगी भले ही तलाशी लिये जाने के लिये निर्णीत ऋणी और सम्पत्तियों की संख्या कितनी ही हो।	
(ख) जब किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो जो रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग 2 के नियम 348 या किसी अन्य विशेष या सामान्य आदेश के अधीन फीस के बिना तलाशी प्रमाण-पत्र का हकदार न हो।	रुपये 20.00

परन्तु जब उपर्युक्त खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई आवेदक ऐसे अन्य आवेदन-पत्र पर जिसके लिये साधारण तलाशी फीस दी गई हो, अधिमान देकर तलाशी प्रमाण-पत्र लेना चाहता हो तो 5 रुपये की अतिरिक्त फीस देने पर उसे फीस दिये जाने के दो दिन के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

परन्तु यह और कि 12 वर्ष से कम की अवधि के लिये रजिस्ट्रेशन मैनुअल, भाग 2 के नियम 327 के खण्ड (1) के अधीन अनुपूरक तलाशी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये फीस उस अनुपात में होगी जिस अवधि के लिये वास्तविक रूप में तलाश की गई हो। इस प्रकार ली गई फीस को अगले पूरे रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

(टीका—बिना फ़ीस तलाश किये जाने के सम्बन्ध में देखें नियम 348 धारा 57, टीका 7)

अनुच्छेद 10

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 31, 33 या 38 के अधीन प्राइवेट निवास गृहों या जेल में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा हाजिर होने या धारा 33 या 38 के अधीन कमीशन निकालने के लिये—	रु०
(क) जब वह व्यक्ति जिसकी परीक्षा की जानी है, जेल में हो।	10.00
(ख) जब उस व्यक्ति को जिसकी परीक्षा की जानी है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन स्वीय उप-संजाति से छूट दी गई हो।	50.00
(ग) समस्त अन्य मामलों में।	50.00

टिप्पणी—उपर्युक्त फीस के अतिरिक्त ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में जिसे उपर्युक्त प्रयोजन के लिये रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को करना अपेक्षित हो, फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-3 में दिये गये यात्रा-भत्ता नियमों के अधीन दौरे पर की जाने वाली यात्राओं के लिये साधारणतया अनुमन्य दरों पर यात्रा-भत्ता भी दिया जायेगा:

परन्तु मुख्यालय के अन्तर्गत की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में महा-निरीक्षक प्रथम किलोमीटर के लिये 1.00 रुपया और उसके पश्चात् प्रत्येक किलोमीटर के लिये 0.45 पैसे की विशेष दर प्राधिकृत कर सकता है।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 133 के अधीन छूट प्राप्त व्यक्ति की परीक्षा के लिये किसी परिदर्शन या किसी कमीशन का खर्च उसके द्वारा दिया जायेगा जब तक कि उसकी उपस्थिति की अपेक्षा करने वाला पक्ष ऐसे खर्च का भुगतान न करे।

(3) उस दूरी की गणना जिसके लिये यात्रा भत्ता दिया जायेगा, कलेक्टर के कार्यालय में आदेशिका की तामील के लिये बनाई गई सारिणी जहाँ ऐसी सारणी उपलब्ध हो, के अनुसार या अन्य मामलों में उप जिला के नक्शे की सहायता से यदि उपलब्ध हो, अनुमान द्वारा की जायेगी, जिसे यथासम्भव प्रत्येक कार्यालय को जो तहसील के मुख्यालय पर न हो, दिया जायेगा। किसी तहसील के मुख्यालय पर स्थित कार्यालय तहसील के नक्शे का उपयोग करेंगे। निरीक्षणकर्ता अधिकारी कुछ मदों की वास्तविक जांच और नक्शे से माप करके अपना समाधान करेंगे कि वह दूरी जिसके लिये यात्रा भत्ता लिया गया है, लगभग सही है।

(4) एक या एकाधिक महिला निष्पादी के, जो पर्दानशीन या कुलीन है, अंगूठे का निशान लेने के लिये रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के साथ किसी नर्स या महिला सहायता द्वारा प्राइवेट निवास-गृह पर प्रत्येक हाजिरी के लिये, यदि अपेक्षित हो, 5 रुपये की अतिरिक्त फीस ली जायेगी भले ही ऐसी भेंट में रजिस्ट्रीकरण किये जाने वाले दस्तावेजों की संख्या कुछ भी हो।

टीका

(कमीशन फीस व यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में देखें रजिस्ट्रेशन मैनुअल का नियम 205 और 216 धारा 80 की टीका में उधृत)।

अनुच्छेद 11

जब रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 36 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी या न्यायालय को सम्मन जारी करने के लिये कोई आवेदन-पत्र दिया जाये तब ऐसे अधिकारी या न्यायालय द्वारा सम्मन जारी करने या तामील करने के लिये सामान्य रूप से देय आदेशिका फीस उस व्यक्ति से वसूल की जायेगी जिसकी प्रेरणा पर आवेदन-पत्र दिया जाये और उसे आवेदन-पत्र के साथ अग्रसारित किया जायेगा।

अनुच्छेद 12

साक्षियों का पारिश्रमिक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों के निर्देश में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा, और सम्मन जारी करने के लिये आवेदन पत्र के साथ अग्रसारित किया जायेगा। फिर भी, यदि सम्मन किया गया व्यक्ति वह व्यक्ति हो जिसने दस्तावेज निष्पादित किया है तो उसे कोई पारिश्रमिक अनुमन्य न होगा।

अनुच्छेद 13

पुस्तक 1 अनुच्छेद 2 में विहित दर पर 3 या 4 में सम्मिलित किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, पुस्तक 2 की प्रविष्टि, कारण बुक के पश्चात् (नक्शा या प्लान को छोड़कर), अन्य पुस्तकों की प्रविष्टि और अनुक्रमणिकाओं (नक्शा या प्लान को छोड़कर), अभिसाक्ष्य विवरण आदेश या अन्य प्रकीर्ण पत्रादि के लिये जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों—

टिप्पणी—(1) यदि कोई आवेदक उन अन्य आवेदन-पत्रों की, जिनके लिये प्रतिलिपि तैयार करने की साधारण फीस दी गई है, वरीयता में प्रति लेने की अपेक्षा करें तो फीस अनुच्छेद 2 में विहित फीस की दर की दुगुनी होगी।

(2) यदि कोई आवेदक, जिसने नियम (1) के अनुसार फीस का भुगतान कर दिया है, ऐसी प्रति आवेदन-पत्र के दिनांक को दिये जाने की अपेक्षा करे या वह ऐसे आवेदन-पत्र के दिनांक को प्रस्तुत किये गये टिप्पणी (1) के अधीन अविलम्बनीय प्रतियों के लिये दस्तावेजों और आवेदन-पत्रों के ऊपर अग्रता की मांग करे उससे ऐसे प्रति के लिये टिप्पणी (1) के अधीन दी गई फीस के अतिरिक्त 4 रुपये या यदि प्रति में शब्दों की संख्या 1200 शब्दों से अधिक हो तो प्रत्येक 300 शब्द या उसके भाग के लिये 1 रुपये की त्वरित फीस ली जायेगी। ऐसी फीस का भुगतान किये जाने पर भी ऐसी प्रति, जिसमें 3,600 से अधिक शब्द हों, उतनी अवधि में दी जायेगी जो 3,600 शब्द प्रति कार्य दिवस के हिसाब से प्राप्त हों।

स्पष्टीकरण—

(क) इस अनुच्छेद के अधीन फीस वसूल करने के लिये रजिस्ट्रीकरण पृष्ठांकन और विधि या नियमों द्वारा विहित अन्य प्रमाण-पत्रों की गणना भी दस्तावेज के भाग के रूप में की जायेगी।

(2) जब रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 57 के अधीन किसी प्रति के लिये आवेदन-पत्र से तलाशी अपेक्षित हो तब इस अनुच्छेद के अधीन फीस के अतिरिक्त अनुच्छेद 6 द्वारा विहित फीस उसके स्पष्टीकरण संख्या (2) के अधीन रहते हुये ली जायेगी।

(3) प्रतिलिपि तैयार करने के लिये वसूल की गई फीस को जारी की गई प्रति के नीचे दर्ज किया जायेगा।

(4) जिला रजिस्ट्रार के नियंत्रण में, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अपने द्वारा जारी किये जाने वाले नक्शे या प्लान की प्रति तैयार करने की फीस को किये जाने वाले कार्य की कठिनाई या जटिलता का ध्यान रखते हुये, नियत करेगा। जब किसी नक्शे या प्लान की प्रति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार की जाये जो रजिस्ट्रीकरण विभाग से सम्बन्धित न हो तब इस प्रकार वसूल की गई फीस उस व्यक्ति को दे दी जायेगी।

अनुच्छेद [illegible]

किसी ऐसे अदावाकृत दस्तावेज को [illegible] रजिस्ट्रेशन मैनुअल [illegible] रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में [illegible] के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो। — [illegible] दिन [illegible] विलम्ब दौरान दस्तावेज अदावाकृत रहे पांच पैसे किन्तु अधिकतम 50.00 रुपये है।

अनुच्छेद 15

प्रकीर्ण फीस

	रुपये
(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 72 के अधीन अपील या धारा 73 के अधीन आवेदन-पत्र और धारा 74 के अधीन जांच के लिये या जब कोई दस्तावेज, वसीयत या दत्तक ग्रहण प्राधिकार, निष्पादी या वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् प्रस्तुत किया जाये, तब रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निष्पादन आदि के तथ्यों के बारे में की जाने वाली जांच के लिये।	10.00
(2) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 25, धारा 34 या धारा 36 के अधीन दायर किये गये किसी आवेदन-पत्र के लिये।	5.00
(3) किसी सरकारी मामले में रजिस्ट्रीकरण कारबार या कार्यवाही से सम्बन्धित प्रत्येक आवेदन-पत्र (जो प्रति के लिये आवेदन-पत्र न हो) के लिये जिसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के समक्ष दायर किया गया हो, जब कि उस पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन न्यायालय फीस प्रभार्य न हो।	5.00

अपवाद

(1) सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जो सिविल या सैनिक सेवायोजन में हों, अपने उपयोग के लिये निवास गृह के निर्माण या क्रय के प्रयोजनार्थ सरकार से प्राप्त किसी अग्रिम के प्रति समुदाय को सुनिश्चित करने के लिये निष्पादित बन्धक विलेख पर कोई फीस उद्ग्रहणीय न होगी। इसी प्रकार अग्रिम का प्रतिसंदाय हो जाने पर, यदि उधार लेने वाला व्यक्ति प्रति हस्तांतरण के लिखित को, जो सरकार द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित हो चाहे तो कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(2) डिस्प्लेस्ड परसन्स (कम्पेन्सेशन एण्ड रिहैबिलिटेशन) एक्ट, 1955 के उपबन्धों के अधीन निष्पादित किये जाने वाले सार्वजनिक नीलाम से भिन्न संपत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित दस्तावेजों पर स्थापित व्यक्तियों से कोई रजिस्ट्रीकरण फीस नहीं ली जायेगी।

टीका

1. एक लेखपत्र 4 व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किया गया था, तीन व्यक्तियों के प्रति उसका रजिस्ट्रीकरण किया गया। चौथे व्यक्ति को अवयस्क मानकर उसके प्रति रजिस्ट्रीकरण से इन्कारी की गई। अपील के फलस्वरूप लेखपत्र को रजिस्ट्रीकृत किये जाने का आदेश हुआ। इस रजिस्ट्रीकरण के लिये दोबारा फीस नहीं ली जानी चाहिये। (महानिरीक्षक का पत्र 3506/ग्यारह-94 दिनांक 2-6-32 लिस्ट आफ सर्क्यूलर्स का क्रमांक 118)।